

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

माध्यमिक विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों से संबंधित विहित प्रपत्र

(झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज)
नियमावली 2008 पर आधारित)

1. विद्यालय का नाम एवं पता :-

दूरभाष :-

2. स्थापना अनुमति पत्रांक एवं दिनांक :-
(पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाय)

3. विद्यालय को संचालित करने वाली सोसाईटी का नाम :-

क्र० सं०	प्रस्वीकृति हेतु शर्तें	अनुपालन की स्थिति
4.	(क) क्या प्रस्तावित विद्यालय किसी निबंधित न्यास, निकाय, सोसाईटी से संचालित है ? क्या विद्यालय को प्रस्तावित करने वाला निकाय अथवा न्यास, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अधीन निबंधित है ? (साक्ष्य स्वरूप संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति संलग्न की जाय)	
	(ख) प्रस्तावित संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम एवं पता :- (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों में एक ही परिवार के दो सदस्य या निकट संबंधी नहीं हैं।)	क्रमांक नाम पता पदनाम

5.	<p>विद्यालय को प्रस्तावित करने वाला न्यास, निकाय अथवा सोसाईटी का आवर्तक वार्षिक आय पर्याप्त होना चाहिए जिससे कि विद्यालय संचालन और कर्मियों का वेतनादि भुगतान करने के लिए उक्त संस्था सक्षम है।</p> <p>(i) प्रस्तावित विद्यालय का विभिन्न मद में आवर्तक वार्षिक व्यय का विवरण संलग्न किया जाय।</p> <p>(ii) विद्यालय का प्रस्ताव करने वाली संस्था का वार्षिक आमदनी एवं व्यय का व्यौरा अंकेक्षित लेखा सहित संलग्न किया जाय।</p>	
6.	<p>भूमि—क्या प्रस्तावित विद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र में 2 (दो) एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 50 डिसमील भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित अथवा 30 वर्षों का निबंधित लीज करा लिया है ? (साक्ष्य स्वरूप भूमि का निबंधित डीड, दाखिल खारिज, अद्यतन मालगुजारी एवं नक्शा की छायाप्रति संलग्न की जाय।)</p>	<p>खाता नं० -</p> <p>प्लॉट नं० -</p> <p>रकवा -</p>

7.	<p>भवन— क्या प्रस्तावित विद्यालय ने कुल 200 छात्र/छात्राओं के लिए 450 वर्ग फीट का 7 (सात) कमरा का निर्माण पूर्ण कर लिया है ? (जिसमें चार वर्ग कक्ष तथा तीन प्रयोगशाला होने चाहिए) क्या इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक कक्ष 144 वर्गफीट, पुस्तकालय 600 वर्गफीट एवं शिक्षक कक्ष 450 वर्गफीट आकार का तथा शौचालय, पेयजल एवं कॉमन रूम की समुचित व्यवस्था कर ली गई है ? क्या भवन पक्का एवं छतदार है ? (प्रत्येक वर्ग में 60 से अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिए अलग से एक उपवर्ग की व्यवस्था एवं तदनुसार वर्ग कक्ष की व्यवस्था करना होगा)</p> <p>(भवन का प्रमाणित फोटो तथा अभियंता द्वारा प्रमाणित नक्शा जिसमें कमरों की लम्बाई/चौड़ाई का उल्लेख हो की छायाप्रति संलग्न की जाय। निबंधित भूमि पर ही भवन के अवस्थित होने का प्रमाणक भी संलग्न किया जाय)</p>	
8.	<p>प्रयोगशाला— क्या प्रस्तावित विद्यालय के पास भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के लिए अलग-अलग प्रयोगशाला में मानक अनुसार उपकरण, उपस्कर एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध है ?</p> <p>(प्रयोगशाला में संप्रति उपलब्ध सामग्री एवं उपस्कर/उपकरणों की अभिप्रमाणित सूची संलग्न की जाय।)</p>	
9.	<p>पुस्तकालय— क्या प्रस्तावित विद्यालय के पास पुस्तकालय में कम से कम 30,000/- (तीस हजार) रू० की भाषा, समाजविज्ञान एवं विज्ञान समूह की कुल 750 पुस्तकें अनुपातिक संख्या में उपलब्ध है ?</p> <p>(सूची संलग्न किया जाय।)</p>	
10.	<p>सुरक्षा कोष— क्या प्रस्तावित विद्यालय के सुरक्षा कोष में सचिव एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त पदनाम से 50,000 (पचास हजार) रू० की राशि निकटतम डाक घर में राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में सावधि खाता में जमा है ?</p> <p>(जमा रसीद की छायाप्रति संलग्न किया जाय।)</p>	<p>क्रय तिथि :</p> <p>परिपक्वता की तिथि :</p>

11.	<p>उपस्कर— क्या प्रस्तावित विद्यालय के पास छात्र/छात्राओं के बैठने के लिए 70 जोड़ी बेंच, डेस्क एवं शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में टेबल, कुर्सी, अलमीरा इत्यादि उपलब्ध है ? (साक्ष्य स्वरूप अभिप्रमाणित सूची संलग्न की जाय।)</p>	<p>बेंच/डेस्क की संख्या : कुर्सी की संख्या : मेज की संख्या : अलमीरा की संख्या :</p>
12.	<p>खेल सामग्री— क्या प्रस्तावित विद्यालय के पास पर्याप्त खेल-सामग्री उपलब्ध है ? (सचिव एवं प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाय।)</p>	
13.	<p>वैज्ञानिक साधित्र एवं शैक्षणिक उपकरण— क्या प्रस्तावित विद्यालय के पास न्यूनतम 20,000/—(बीस हजार) रु० का वैज्ञानिक साधित्र एवं शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध है ? (सचिव एवं प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाय।)</p>	
14.	<p>कम्प्यूटर— क्या प्रस्तावित विद्यालय के पास कम्प्यूटर शिक्षण हेतु कम-से-कम दो कम्प्यूटर (प्रिंटर सहित), कम्प्यूटर अनुदेशक के साथ उपलब्ध है ? (सचिव एवं प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाय।)</p>	
15.	<p>आपदा प्रबंधन— क्या प्रस्तावित विद्यालय में आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है ? (जैसे अग्निशमन, तड़ित चालक आदि) (सचिव एवं प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ)</p>	<p>तड़ित चालक : अग्निशमन यंत्र :</p>
16.	<p>शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या— क्या प्रस्तावित विद्यालय में न्यूनतम 200 छात्र/छात्राओं के लिए निम्नवत — प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका— 01, भाषा समूह के शिक्षक— 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा), समाज विज्ञान समूह के शिक्षक— 03, विज्ञान समूह के शिक्षक— 03, शारीरिक अनुदेशक— 01, लिपिक— 01, आदेशपाल— 02 इसप्रकार कुल 14 शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध हैं ? (सचिव एवं प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाय।)</p>	

17.	<p>शिक्षकों की योग्यता—क्या प्रस्तावित विद्यालय के सभी शिक्षक संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्नातक (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ) उत्तीर्ण तथा NCTE से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से बी०एड० की डिग्री प्राप्त कर लिया है ? (शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित विवरणी संलग्न करें)</p>	
18.	<p>वेतन भुगतान—क्या प्रस्तावित विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान क्रॉस चेक द्वारा किया जाता है ? (बैंक एडवाइस/चेक की छायाप्रति संलग्न की जाय।)</p>	बैंक का नाम :
19.	<p>शिक्षकों की नियुक्ति—क्या प्रस्तावित विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत प्रबंध समिति द्वारा की गई है ? (कोटिवार विवरणी संलग्न किया जाय।)</p>	
20.	<p>सेवा शर्त— क्या प्रस्तावित विद्यालय की शासी निकाय/न्यास, सोसाईटी के द्वारा उल्लेखित संविधान एवं राज्य सरकार के तत्संबंधी नियम एवं प्रावधानों के तहत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए सेवा शर्त नियमावली का निर्माण किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत एवं प्रचलित कानून पर आधारित हो ? क्या इस नियमावली को परिषद् से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ? (नियमावली की छायाप्रति संलग्न की जाय।)</p>	
21.	<p>क्या प्रस्तावित विद्यालय ने इस आशय का शपथ-पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया है कि विद्यालय भविष्य में अधिग्रहण/ सरकारीकरण का कोई दावा नहीं करेगा और न ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का होगा ? (शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाय।)</p>	

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
का हस्ताक्षर एवं मुहर

विद्यालय को प्रस्तावित करने वाली संस्था
के सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर